दिनांक 27.08.2015 (चतुर्थ गुरूवार) को सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 अंतर्गत प्रमादी मिलरों से सी0एम0आर0 की बकाया राशि की वसूली से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

FAX
E-Mail

उपस्थिति :–

1. **सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना।**
2. **प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम।**
3. **संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।**
4. **उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी।**
5. **संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।**

1. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 अंतर्गत प्रमादी मिलरों से राशि की वसूली की समीक्षा की गयी। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि प्रमादी मिलरों से राशि की अद्यतन वसूली 301.98 करोड़ रूपये हुई है। गत समीक्षा बैठक में 289.98 करोड़ रू0 की वसूली हुई थी। सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को वसूली में प्रगति लाने का निदेश दिया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि अभी भी 1274.88 करोड़ राशि प्रमादी मिलरों के पास बकाया है, जिसे व्यक्तिगत अभिरूची लेते हुए वसूली सुनिश्चित की जाए। 50 करोड़ से अधिक वसूलनीय राशि वाले जिला का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पुलिस अधीक्षक, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं निलाम–पत्र वाद के साथ समीक्षात्मक बैठक करने का निदेश प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को दिया गया।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि 1627 दायर निलाम–पत्र वादों में 380 मामलों में BW की कार्रवाई की गई है एवं 343 में DW की कार्रवाई की गयी है। गत समीक्षात्मक बैठक में भी यही प्रगति थी, जिसे सचिव द्वारा प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

3. उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना से उपस्थित SP, OSD, CID द्वारा बताया गया कि 194 मामले में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। सचिव द्वारा Execution में तेजी लाने एवं प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया, गिरफ्तारी की संख्या 345 प्रतिवेदित है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आरोप पत्र समर्पित होने के पश्चात कितना Speedy Trial हुआ है, इसकी भी समीक्षा कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

4. दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 202 के विरूद्ध प्राथमिकी दायर हुए एवं 227 मामलों में निलाम पत्र वाद दायर हुए है एवं 219 के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित है। साथ ही, सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में ही दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध की गयी अद्यतन कार्रवाई की सूचना संबंधित सभी विभाग से प्राप्त कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। बिहार राज्य खाद्य निगम के दोषी कर्मियों पर कार्रवाई प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक –प्र04/ख0वि0अधि0–04/2014 7152 खाद्य/पटना/दिनांक 07.09.15

प्रतिलिपि – पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर)
सरकार के संयुक्त सचिव।